



04 - एसआईआर अपडेट से बदल सकता है यूपी का चुनावी नक्शा



05 - यथार्थ की जमीन तलाशते मानव अधिकार

A Daily News Magazine

इंदौर
शनिवार, 20 दिसंबर, 2025



06 - भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का पहली बार...



07 - अंतर्राष्ट्रीय मानक पूर्ण कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन बना...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित



वर्ष 11 अंक 84, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsaverenews



twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

रात

पंजों के बल खड़े हो कर

झांकती रहती है

नींद के रंगमहल में

सपनों का

प्रवेश निषेध है

आसमान का

एक एक सितारा गिन लेती हैं

मुंदी हुई आँखें ।

बिस्तर पर

चींटियों की तरह काटते हैं

जज्बात

अंधेरे में

फर्श पर बिखरे

राई के दानों सा बीना जाता है

एक एक अक्षर

तब जा कर कहीं

बड़ी नजाकत से

उतरती है

सुबह के कागज़ पर

एक अदद कविता

- संध्या सिंह

प्रसंगवश

प्रशांत श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक अप्रत्याशित मुद्दे को लेकर चिंतित है—चुनावी सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे अब तक एक सामान्य प्रक्रिया बताता रहा है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर चिंता जताई है कि संशोधित मतदाता सूची में बीजेपी समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा बाहर हो सकता है। एक और चिंता यह है कि शहरी इलाकों, जिनमें एनसीआर भी शामिल है, उसमें पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। यहां कई लोग दूसरे राज्यों से हैं और वे अपने गृह नगर की मतदाता सूची में ही अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं।

तीसरी बात, सूत्रों के मुताबिक, बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे—विपक्ष को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से संगठित होने में मदद कर रही है। कई सालों से बीजेपी की चुनावी मशीनरी को राज्यों में संगठन के मामले में सबसे मजबूत माना जाता रहा है।

SIR की शुरुआत इस साल की शुरुआत में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी।

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में SIR की शुरुआत 4 नवंबर को हुई थी और इसे एक महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप सिन्हा के अनुरोध पर इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी। एक सूत्र ने बताया कि रिविजर को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के लिए हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने

पार्टी पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि करीब चार करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं और इनमें से '85 से 90 प्रतिशत' 'हमारे' हैं। कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने कहा, 'यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत मतदाता होने चाहिए, जिनमें 18 साल के होने वाले लोग भी शामिल हैं। इस हिसाब से मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन अब तक SIR की गिनती 12 करोड़ तक ही पहुंची है।'

'मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लापरवाही से बचने की चेतावनी दी है और कहा है कि वे पूरी प्रक्रिया पर करीबी से नज़र रखे हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि दो हफ्ते पहले हुई एक बंद कमेरे की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने ऐसी ही चिंता जताई थी। आदित्यनाथ ने मंत्रियों और विधायकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने को कहा और शादियों जैसे कार्यक्रमों के लिए यात्रा से बचने को कहा। नेता इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं, जबकि यह वास्तव में एक गंभीर मामला है।'

राज्य निर्वाचन आयोग के 10 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, यूपी की मौजूदा मतदाता सूची (दिनांक 27 अक्टूबर 2025) में 15.44 करोड़ मतदाता थे। SIR के लिए बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने 15.43 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटे, जो कुल मतदाताओं का 99.9 प्रतिशत है। इनमें से 80.29 प्रतिशत फॉर्म बीएलओ ने वापस ले लिए, जिन पर मतदाता या परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर थे। चुनाव आयोग ने बताया कि बाकी 19 प्रतिशत फॉर्म यानी 2.91 करोड़ 'एकत्र

नहीं किए जा सके।' संशोधित मतदाता सूची अभी प्रकाशित नहीं हुई है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि लगभग पांचवां हिस्सा मतदाताओं का वोट लिस्ट से हटना 'बेहद गंभीर' मामला है। 'बीएलए से मिली हमारी आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि इन मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उच्च जातियों से है, जो हमारा मुख्य आधार हैं। अगर इनमें से आधे भी उच्च जाति के हुए, तो हम कम से कम 1.5 करोड़ मतदाता खो सकते हैं। समय-सीमा में बहुत कम दिन बचे हैं, इसलिए यह बड़ी चिंता है।'

मुख्यमंत्री के अनुमान और चुनाव आयोग की गणना में अंतर पर उन्होंने कहा, 'चार करोड़ गायब मतदाताओं का मुख्यमंत्री का अनुमान भी सही है और लगभग तीन करोड़ का चुनाव आयोग का आंकड़ा भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री ने संभवतः पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को भी इसमें शामिल किया है।' कई मतदाता शहरों में रहने के बजाय अपने पैतृक गांवों में ही अपना वोट आईडी बनाए रखना चाहते हैं। इसमें ज्यादातर वे लोग शामिल हैं जिनका नाम दो जगह दर्ज है। इनकी संख्या लाखों में हो सकती है और इससे शहरी इलाकों में नुकसान हो सकता है, जहां हमारी मजबूत पकड़ है।'

2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य के ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में, भले ही 2019 के मुकाबले यूपी में पार्टी की सीटें लगभग आधी रह गईं, लेकिन राज्य के प्रमुख शहरी इलाकों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरकारी कार्यक्रमों, निजी आयोजनों और पार्टी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, वहीं विपक्षी नेता पूरी तरह SIR पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि

उन्हें अपने मुख्य वोटर आधार की चिंता है। वे अनजाने में अपनी संगठनात्मक क्षमता मजबूत कर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यूपी में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए 4.91 लाख बीएलए में से 1.59 लाख बीजेपी के हैं, इसके बाद समाजवादी पार्टी के 1.42 लाख हैं। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 1.38 लाख बीएलए हैं, जबकि कांग्रेस के 49,121 हैं।

'इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने बताया कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की निगरानी करना 'कुछ हद तक परेशान करने वाला' रहा है, लेकिन इससे पार्टी को फायदा हुआ है। अब हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर हैं। बिहार में जिस तरह की अफरा-तफरी देखी गई, उसके बाद अब यूपी के लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं और इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।'

पश्चिमी यूपी से बीजेपी नेता अवनीश त्यागी ने कहा, 'हमें SIR प्रक्रिया पर कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ताओं को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। 'बीजेपी ने राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मोर्य और ब्रजेश पाठक को 25-25 जिलों की विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें झुग्गी बस्तियां और अन्य इलाके भी शामिल हैं। जो लोग वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

मुख्यमंत्री ने म. प्र. आई.ए.एस. एसोसिएशन सर्विस मीट 2025 का शुभारंभ किया

भारत अब हर चुनौती और परिस्थिति का सामना करने में सक्षम : सीएम यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद का विचार था कि 21वीं सदी भारत की होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज विवेकानंद जी का यह स्वप्न साकार होता दिख रहा है। वर्तमान में विश्व का हर देश भारत से मित्रता करना चाहता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब हर चुनौती और परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। भारतीय

●आईएसएस अधिकारी हर चुनौती का सामना करते हुए देश को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं

प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भूमिका के आधार पर ही भारत आज दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हर चुनौती का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। भारत की अनेक विविधताओं के बीच आज देश में यह सेवा क्षेत्र मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव म.प्र. आई.ए.एस. एसोसिएशन सर्विस मीट-2025 के शुभारंभ अवसर पर प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर मुख्य



सचिव श्री अनुराग जैन, सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित मध्यप्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस अवसर पर स्मृति चिह्न भी भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था निर्मित हो पाई। देश में राजाओं की सत्ता को प्रजातंत्र में बदलने में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में संघीय प्रणाली है और इस बीच प्रदेश के अधिकारियों ने केंद्र-राज्यों के साथ समन्वय करते हुए राज्य की बेहतर छवि बनाई है। मध्यप्रदेश एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां कई क्षेत्रों में लगातार नवाचार हुए और इनमें से कई नवाचारों का देश-दुनिया में अनुसरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी योग्यता और अनुभव के महत्व को पहचानते हैं। इसी का परिणाम है कि सेवाकाल के बाद भी कई अधिकारियों के अनुभव का लाभ शासन व्यवस्था

मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जो सभी को अपनाता है

मध्यप्रदेश आईएसएस एसोसिएशन के अध्यक्ष एसोएस मनु श्रीवास्तव ने कहा कि सर्विस मीट में नए वेंचर्स की सफलता पर विमर्श किया जाएगा। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जो सभी को अपना लेता है। मध्य प्रदेश के आईएसएस अफसर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। मध्यप्रदेश आईएसएस एसोसिएशन एक परिवार की तरह है। आयोजन समिति के अध्यक्ष पी. नरहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य में सेवा का कार्य पूर्ण गरिमा के साथ किया जा रहा है।

दुनिया खड़ी कर रही दीवारें भारत बुन रहा है नए रिश्ते

● मुक्त व्यापार समझौतों से घट रहा घाटा और बढ़ रहा भरोसा

भारत ने 2025 में अपनी आर्थिक तरक्की को किया मजबूत



73.99 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अरब डॉलर पर स्थिर रहा। इसके चलते वहीं, कुल आयात लगभग 80.63 घाटे में 61 फीसदी की कमी आई।

ताबड़तोड़ सुधारों से मिली मदद

घरेलू स्तर पर 22 सितंबर 2025 से प्रभावी नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 सुधारों ने निर्यातकों के लिए टैक्स परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया है। टैक्स स्लेब को एक सरलीकृत संरचना में समीकृत करके सरकार ने अनुपालन की जटिलता को कम किया है। कपड़ा और पैकेजिंग जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए उत्पादन लागत को घटाया है। इन सुधारों की एक प्रमुख विशेषता शून्य-रेटेंड सप्लाय के लिए 90 फीसदी का प्रोविजनल रीफंड है, जो यह सुनिश्चित करती है कि निर्यातकों के पास स्वस्थ नकदी प्रवाह बना रहे और उन्हें उन लंबी देरी का सामना न करना पड़े जो पहले छोटे व्यवसायों को बाधित करती थीं। इन टैक्स बदलावों के पूरक के रूप में चार एकीकृत श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। इन्होंने 29 औपनिवेशिक-युग के कानूनों को एक आधुनिक ढांचे में सुव्यवस्थित किया है। ये संहिताएं निर्यातकों को वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव का जवाब देने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करती हैं।

अब बॉर्डर से सटे एयरबेस पर तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर



● राजस्थान के जैसलमेर में हुए 2 युद्धाभ्यास में थे शामिल
● बेहद खतरनाक, एक साथ 256 टारगेट कर सकते हैं ट्रैक
जैसलमेर (एजेंसी)। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर कहे जाने वाले एएच-64ए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है, जो एक समय में 256 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 16 लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है। ये हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तान सीमा की निगरानी और भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत बनाएंगे। हाल ही में जैसलमेर क्षेत्र में हुए सैन्य अभ्यास 'त्रिशूल' और 'मरु ज्वाला' में इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया था। अभ्यास के बाद इन्हें पश्चिमी सीमा के पास एक महत्वपूर्ण एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय थल सेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने किसी बड़े सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान इन हेलीकॉप्टरों ने तय लक्ष्यों पर सटीक हमला किया। जून 2025 में अमेरिका से मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में लगातार 2 तिमाहियों से मध्यप्रदेश प्रथम

भोपाल। मध्य प्रदेश में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए निरंतर और समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त होने का अर्थ है कि बच्चों और महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो, जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बेहतर हो सके। यह कार्यक्रम मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में किए गए सतत और प्रभावी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की एचएमआईएस रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने लगातार पिछली दो तिमाहियों में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की प्रतिबद्धता, समर्पण और टीमवर्क

- यह उपलब्धि प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र की प्रतिबद्धता, समर्पण और टीमवर्क का प्रतिफल : शुक्ल
- वर्ष 2025-26 में 70 लाख से अधिक बच्चों और 9 लाख 42 हजार गर्भवती महिलाओं के जाँच की गयी
- 45 लाख महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान किया गया चिकित्सकीय उपचार

का प्रतिफल है। उन्होंने अभियान से जुड़े समस्त चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमले की सराहना करते हुए कहा कि इनके अथक परिश्रम, संवेदनशीलता और सेवा भाव के कारण ही इतने व्यापक स्तर पर जांच, उपचार और जागरूकता संभव हो पाई है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई देते हुए अपेक्षा व्यक्त की कि वे इसी समर्पण के साथ कार्य करते हुए प्रदेश को पूर्ण रूप से एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य



की ओर निरंतर अग्रसर रहेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में दस्तक अभियान के प्रथम चरण का संचालन 22 जुलाई से 16 सितम्बर 2025 तक किया गया। इस अवधि में 6 माह से 59 माह तक के कुल 70.62 लाख बच्चों में डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच सुनिश्चित की गई। जांच के पश्चात लगभग 35.21 लाख अल्प एवं मध्यम एनीमिक बच्चों को आवश्यक चिकित्सकीय

उपचार प्रदान किया गया, जबकि 3.575 गंभीर एनीमिया से ग्रस्त बच्चों को चिन्हांकित कर जिला स्तर पर रक्ताधान अथवा यथोचित प्रबंधन सुनिश्चित किया गया। अभियान के अंतर्गत प्रदेश की 9.42 लाख गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच की गई। जांच के दौरान 3.02 लाख मध्यम से गंभीर तथा 10,660 अतिगंभीर एनीमिक महिलाओं को चिन्हांकित किया गया, जिन्हें आयरन एवं फोलिक एसिड (सी.आई.ए.ए.), आयरन सुक्रोज, एफ.सी.एम. तथा आवश्यकता अनुसार रक्ताधान के माध्यम से उपचारित किया गया। इन प्रयासों से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ सुरक्षित मातृत्व को भी बढ़ावा मिला है।

एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के लिए प्रदेश में अपनाई गई बहुआयामी रणनीति

एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के लिए प्रदेश में बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है, जिसमें आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों एवं सिरप का नियमित वितरण, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, बच्चों में कृमि निराकरण (डिवाॉर्मिंग) अभियान, पोषण युक्त आहार को बढ़ावा, किशोरियों के लिए साप्ताहिक आयरन सप्लीमेंटेशन, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में स्क्रीनिंग तथा पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियानों का संचालन शामिल है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से सूचना एवं व्यापक प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को जागरूक भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) के अंतर्गत की गई थी। इस अभियान का वर्तमान लक्ष्य मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा बच्चों और महिलाओं को एनीमिया मुक्त बनाना है। मध्य प्रदेश में किए जा रहे समर्पित प्रयास इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं और एक स्वस्थ, सशक्त एवं सक्षम समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

‘जी-राम-जी’ बिल का विरोध,टीएमसी का रातभर धरना

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद में गुरुवार रात 12.30 बजे राज्यसभा से वीबी-जी राम जी बिल पास हो गया। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान जमकर हंगामा किया। बिल के पास होने से पहले सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास



भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी के बीच बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया। बिल के विरोध में तृणमूल सांसद, संसद के मकर द्वार पर रातभर से धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि ये बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों-गरीबों के खिलाफ है।

तमिलनाडु-गुजरात में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी

चेन्नई/गांधीनगर (एजेंसी)। चुनाव आयोग शुक्रवार को तमिलनाडु और गुजरात में कराए गए स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर, सामान्य शब्दों में वोटर वेरिफिकेशन) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद मतदाता लिस्ट में अपने नाम



चेक कर सकेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा के समय इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई है। यानी 1.02 करोड़ नाम हटाए गए हैं।

यूपी में नए साल में मिलेंगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी की योगी सरकार नए साल में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 2026 में डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। सीएम योगी ने हाल ही में अफसरों के साथ बैठक में विभागवार खाली पदों की डिटेल मांगी थी, जिससे



इन पदों पर नियुक्ति की जा सके। इसकी समीक्षा करने के बाद 2026 में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की इजाजत दे दी। ये नौकरियां शिक्षा, राजस्व, आवास विकास और पुलिस समेत प्रदेश अलग-अलग विभागों में दी जाएगी। सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। ये भर्तियां होने के साथ ही साल-2026 में योगी सरकार के नाम सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा।

भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे अपनी सेना

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ‘सुदर्शन चक्र’ देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली में आयोजित एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव में गुरुवार को रक्षा मंत्री ने भाग लिया। उन्होंने वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले रणनीतिक और

ऑपरेशनल संबंधी सबक को ध्यान में रखकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। रक्षा मंत्री ने वायुसेना को तकनीकी रूप से उन्नत, रणनीतिक रूप से आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया देने वाली फोर्स बताया। कॉन्क्लेव में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल

राजनाथ बोले-

ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर बनाए प्लान



चौहान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जब पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की असफल कोशिश की, तब आम लोग शांत रहे और सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। यह भारतीय जनता के अपनी सेनाओं पर भरोसे को दिखाता है। ऐसी स्थिति में लोगों का संयम देश की तैयारी और

क्षमता पर विश्वास को दर्शाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास संघर्ष, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध में एयर पावर केवल सामरिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साधन बन चुकी है। इसकी ताकत गति, आश्चर्य और त्वरित प्रभाव में है, जिससे राजनीतिक नेतृत्व को भी स्पष्ट संदेश देने में मदद मिलती है।

अब 80 किलोमीटर की स्पीड से पार कर सकेंगे टोल

रुकना भी नहीं होगा, गडकरी ने बताया-कब से होगा शुरू



नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि सैटेलाइट-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026 के आखिर तक पूरे देश में चालू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस नई तकनीक से 80 की स्पीड से लोग टोल पार कर सकेंगे और

उन्हें वहां रुकना भी नहीं होगा। प्रश्नकाल के दौरान सप्तीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और एआई-आधारित होगी और यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे 1,500 करोड़ रुपये के फायदे की बचत होगी और सरकार के रेवेन्यू में 6,000

करोड़ रुपये जुड़ेंगे और टोल प्लाजा पर इंतजार का समय जीरो हो जाएगा। उन्होंने सदन में कहा, मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल एक बहुत अच्छी सुविधा है। पहले, हमें टोल पर पेमेंट करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे; फिर फास्टेज की वजह से, समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया है। हमारी इनकम कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है। फास्टेज की जगह नया नियम आने के बाद, कारें अब ज्यादा से ज्यादा 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से टोल पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारा मकसद इसे जीरो मिनट तक लाना है, और इसमें एआई और फास्टेज के साथ सैटेलाइट के ज़रिए नंबर प्लेट पहचान शामिल होगी। गडकरी ने कहा, 2026 के आखिर तक हम यह काम 100 परसेंट पूरा कर लेंगे, और एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, हमारी इनकम से 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी, और हमारी इनकम में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी, और टोल चोरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से लोगों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी, और यात्रा का समय निश्चित रूप से कम होगा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पिता की वसीयत सर्वोपरि

महुआ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी सीबीआई

- दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया



अधिनियम की धारा 20 के तहत एक महीने के भीतर कानून के अनुसार दोबारा फैसला करे। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा के वकील ने दलील दी कि लोकपाल ने मंजूरी देते समय कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया। कानून के मुताबिक उनकी टिप्पणी लेना जरूरी होता है।

- समुदाय से बाहर शादी पर बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लैंगिक समानता के कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता की वसीयत को बरकरार रखते हुए बेटी को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। पिता एन एस श्रीधरन ने अपनी नौ संतानों में से एक बेटी शाइला जोसेफ को अपनी वसीयत में जायदात से इसलिफ बेदखल कर दिया था क्योंकि उसने अपनी बिरादरी के बाहर शादी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उन फैसलों को पलट दिया है, जिसमें वसीयत पर संदेह जताते हुए संपत्ति को नौ बच्चों में बराबर बांटने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अहमदुल्लाह और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि वसीयत को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वह स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है। बेंच ने कहा, वसीयत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जो स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द किया जाता है। बादी (शाइला) को अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं मिलता, जिसे वसीयत द्वारा अन्य भाई-बहनों को दे दिया गया है।



वसीयत के मामले में नहीं लागू होता समझदारी का नियम

सुप्रीम कोर्ट ने यह कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वसीयत के मामले में समझदारी का नियम लागू नहीं होता। वसीयत व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है और उसे अपनी संपत्ति बांटने का पूरा अधिकार होता है। अगर वसीयत के ज़रिए सभी भाई-बहनों को उनकी विरासत से वंचित किया गया होता, तब अदालतें समझदारी का नियम लागू कर सकती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने शाइला को वसीयत से बेदखल करने के कारण पर भी टिप्पणी की। बेंच ने कहा, इस बहिष्कार का एक कारण बताया गया है।

बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, हालात बेकाबू

- 2 न्यूज चैनल्स और अवामी लीग के ऑफिस फूँके, जमकर किया उत्पात



एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद उसके शव को नग्न करके एक पेड़ से लटका कर आग लगा दी। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हदी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया है। उस्मान हदी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से

अगली बार नकाब को हाथ लगाया तो सबक सिखाएंगे

- हिजाब विवाद पर नीतिश को महबूबा की बेटी की धमकी



श्रीनगर (एजेंसी)। बिहार में एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की दूसरे राज्यों में भी आलोचना हो रही है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता इलतिजा मुफ्ती ने शुक्रवार को बिहार सीएम के खिलाफ श्रीनगर में एफआईआर दर्ज कराई। इलतिजा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए नीतिश कुमार को चेतावनी दी और कहा- आपको (नीतिश) कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाए। अगली बार आपने हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। इलतिजा ने कहा-यह हरकत बर्दाश्त से बाहर है।

शेख हसीना विरोधी नेता की मौत के बाद हिंसा हिंदू युवक को जलाया

की है पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात भालुका में हुई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग ‘अल्लाह-हू-अकबर’ के नारे लगाते दिख रहे हैं। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है। शेख हसीना और भारत विरोधी नेता उस्मान हदी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार और प्रोथोम अलो अखबारों के ऑफिस में घुसकर आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की।

विचार

चित्रा माली
सहायक प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महत्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विधि क्षेत्रीय केंद्र,कोलकाता

अधिका‍रों के संदर्भ में यदि महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करें तो उनका स्पष्ट मत था कि ‘अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है’। गांधी जी कहते हैं कि यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से करें तो अधिकारों की प्राप्ति में कठिनाई नहीं होगी। किंतु यदि हम अपने कर्तव्यों को भूलकर अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वे हमसे छलावे जैसा व्यवहार करेंगे और दूर भागते जाएंगे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से करता है,उसे उसके अधिकारों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों पर बल देने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो मानव जाति में तत्काल व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इस सरल और सार्वभौमिक नियम को हम मालिकों,मजदूरों, जमींदारों, काशतकारों,पूंजीपतियों, हिंदू और मुसलमानों सभी पर लागू कर सकते हैं।

जिससे जन-जीवन और व्यवसाय में अ‍व्यवस्था और उपद्रव किए बिना जीवन के सभी क्षेत्रों में मधुर संबंधों को स्थापित किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार यह सत्याग्रह का नियम है जिसका निगमन कर्तव्यों की समझ और अधिकारों के उससे प्रवाहमान होने में निहित है। भारतीय संविधान में भी अधिकारों के साथ कर्तव्यों की अवधारणा का समावेश किया गया है। अस्सी के दशक में वैश्विक फलक पर मानवाधिकारों के मुद्दों के इर्द-गिर्द राजनीति में सक्रियता आयी। इसके विपरीत भारतीय संविधान उन सभी मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में निहित है। भारतीय संविधान अपने पाठ में न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्घोषणा का

राजनीति

जवाहर चौधरी
 - लेखक साहित्यकार हैं

कांग्रेस के सामने स्वयं को बनाए रखने की चुनौती है। यह ज़िम्मेदारी राहुल गांधी अकेले अपने कंधों पर उठाए दिखाई देते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह प्रशंसनीय नहीं माना जा सकता है। उनके पास एक पुरानी, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पार्टी है, जिसमें तमाम नए-पुराने महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये तमाम नेता सक्रिय क्यों नहीं होते हैं? होना तो यह चाहिए कि सरकार के सभी विभागों के मंत्रियों की तरह, विपक्ष के पास भी उन पर निगरानी रखने के लिए समानांतर रूप से एक-एक समर्थ नेता हो। आखिर आप भी सरकार बनाने के लिए ही इतनी कवायद और दावेदारी कर रहे हैं, और जनता देख रही है। शक्ति को अपनी डाइनिंग टेबल तक सीमित करके बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है।

कहते हैं, एक कुशल खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी को पहले अपने एरीना (मैदान) में लाता है और वहाँ अपनी शतों पर उसे लड़ने के लिए मजबूर करता है। नरेंद्र मोदी जमीनी अनुभव से पगे नेता हैं। उनके पास एक सशक्त राजनीतिक संगठन का सहयोग है। खास बात यह है कि सत्ता और संगठन के पास दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। वे मानते हैं कि सत्ता साधन है, साध्य नहीं। धारा 370 हो या लंबे समय से विवादित राम मंदिर का मुद्दा, पार्टी ने अपने समय और शक्ति का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया। अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए देशभर में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त पार्टी कार्यालय बनाए और वित्त व्यवस्था भी गूज़ब की सुदृढ़ की। इससे पार्टी में आत्मविश्वास और बढ़ा। जनता की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए तमाम मंदिर और तीर्थ स्थलों का विकास किया गया है। कुछ पर्यटन स्थल भी विकसित किए गए हैं। नई संसद भवन का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण काम है। धर्म की गहरी जड़ों की पहचान कर, उसे अपने पक्ष में उपयोग करना एक राजनीतिक

आबादी के समीकरण

अरुण कुमार डनायक
 - लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

मानव इतिहास में जनसंख्या हमेशा चुनौतियों और अवसरों दोनों की धुरी रही है। आज जब दुनिया की आबादी 8 अरब के पार पहुँच चुकी है, तब वैश्विक जनसांख्यिकी पहले से कहीं अधिक जटिल और परिवर्तनशील हो गई है। तकनीकी प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं ने इस बदलाव को नई दिशा दी है। 2०25 की जनसंख्या रैंकिंग इसी परिवर्तन का संकेत है, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख देश बनकर उभरे हैं। भारत आज दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और लगभग 1.45 अरब की आबादी के साथ उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बीते दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें और बढ़ती जीवन प्रत्याशा इसकी प्रमुख वजह रही हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ शहरों पर दबाव, सीमित रोजगार, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ भी सामने हैं। इसके बावजूद भारत की विशाल युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो सही नीतियों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा दे सकती है। साथ ही, देश की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 पर आना एक महत्वपूर्ण बदलाव है—कम बच्चों के कारण महिलाओं के पास शिक्षा, कौशल और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अधिक अवसर होंगे, जिससे उत्पादनशीलता और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। चीन, जिसने दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने का गौरव रखा, आज जनसंख्या वृद्धि की उल्टी दिशा में बढ़ रहा है। लगभग 1.42 अरब की आबादी के बावजूद वहाँ जन्म दर तेजी से गिर रही है।

समावेश करता है,बल्कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों को बुलंद करने वाला वह दुनिया का पहला संविधान है। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के तहत संविधान भविष्य में इन अधिकारों के विस्तार का प्रावधान भी करता है। भारत में मानवाधिकारों की अवधारणा को फलीभूत और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया है और राज्य सरकारों के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग',अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग,तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी की गई जिससे अल्पसंख्यकों के,अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह एक स्वायत्त संस्था है जो दक्षिण एशियाई देशों में अनूठी है। इस के अनुच्छेद 2(1)(डी) में मानवाधिकारों की परिभाषा 'व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता,समानता और गरिमा के अधिकारों के रूप में करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन की जांच कर सकता है,किसी भी संबंधित मामले में अदालत की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है,जेलों (कारागारों) का निरीक्षण कर सकता है, मानवाधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संधियों की जांच कर सकता है,उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार से सिफारिशें कर सकता है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के तीस अनुच्छेदों और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में साम्य को देखा जा सकता है जिनमें जीवन

की सुरक्षा, समानता,स्वतंत्रता,शोषण के विरुद्ध अधिकार का समावेश है। भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जिन्हें पांच श्रेणियों में बांट कर देखा जा सकता है। पहली श्रेणी समानता के अधिकार की है जिसके अनुसार सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अवसरों की समानता के साथ साथ नस्ल, जाति, धर्म, लिंग और



जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करने की प्रतिबद्धता भी दर्ज की गई है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों,अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी है। मौलिक अधिकारों की दूसरी श्रेणी का संबंध स्वतंत्रता से है। जिसके तहत भारतीय संविधान अभिव्यक्ति,भाषण,विश्वास,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही देश भर में निर्बाद रूप से घूमने,रहने और काम करने की स्वतंत्रता भी शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की उसकी पूजा

पद्धति को मानने की और धर्म के प्रचार-प्रसार की भी स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकारों की तीसरी श्रेणी जीवन के अधिकार से संबंधित है। कानून द्वारा स्थापित क्रियाविधि को छोड़कर किसी और तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 के मुताबिक भारतीय संविधान जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता को मानव अधिकार के स्तर पर ले जाता है। यह अधिकार नागरिकों को मनमानी नजरबंदी या गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा और कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की चौथी श्रेणी समूह या सामुदायिक अधिकारों की है। जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, इसमें भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक समूहों को भी शामिल किया गया है। राज्य इन संस्थानों को आर्थिक मदद देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। मौलिक अधिकारों की पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण श्रेणी न्यायिक समाधान की है।

इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार देते है। भारतीय संविधान के भाग चार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांत पर आधारित है इस हिस्से में भी मानव के लिए कई अधिकार दर्ज है : जैसे,मानवीय और न्यायसंगत परिस्थितियों में काम का अधिकार,न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धा अवस्था और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता का अधिकार, चौदह साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार, प्रदूषण रहित पर्यावरण

का अधिकार। भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य व्यक्ति व समाज के समावेशी विकास के लिए आदर्श स्थिति को निर्मित करने का साधन है और वैश्विक स्तर पर न्याय और शांति स्थापित करने में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को साधन के तौर पर देखा जा सकता है लेकिन आज भी यह दोनों ही अपने साध्य से कोसों दूर है। नस्ल, धर्म,जाति,लिंग और क्षेत्र आधारित भेदभाव व भेदभाव जनित हिंसा, गैर-बराबरी,असमानता और शोषण हर जगह व्याप्त है जो न्यायपरक व्यवस्था के विरुद्ध है।

गैर-बराबरी,असमानता और भेदभाव के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष युद्ध में परिवर्तित हो जाता है जो वैश्विक शांति के लिए खतरनाक साबित होता है। हम अपने देश की बात करें तो अभी हाल ही में एक व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से महज इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसे 'जय भीम' वाला कहकर संबोधित किया गया वह अपनी जाति से इतर दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह करने जा रहा रहा था जिसे लड़की के घर वालों ने मार डाला। अल्पसंख्यकों के साथ पेश आने का तरीका भी हमारा बहुत ही विचित्र है और कदम-कदम पर हम देश के प्रति उनकी निष्ठा को भी चेक करते रहते हैं। धर्म,जाति, लिंग, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव के और मानवाधिकारों के हनन के कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की समझ अभी भी ऊपरी तौर पर ही है उसे परिष्कृत और विकसित होने में और समय लगेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम मानवाधिकार दिवस को महज एक दिवस के तौर पर न मानकर उसकी मूल अवधारणा जो मानव के अस्तित्व और गरिमा के लिए अनिवार्य है उसे आत्मसात करने का प्रयास करें।

कांग्रेस : बड़ी चुनौती पार्टी को बनाए रखने की

सत्ता और संगठन के पास दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। वे मानते हैं कि सत्ता साधन है, साध्य नहीं। धारा 370 हो या लंबे समय से विवादित राम मंदिर का मुद्दा, पार्टी ने अपने समय और शक्ति का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया। अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए देशभर में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त पार्टी कार्यालय बनाए और वित्त व्यवस्था भी गूज़ब की सुदृढ़ की। इससे पार्टी में आत्मविश्वास और बढ़ा। जनता की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए तमाम मंदिर और तीर्थ स्थलों का विकास किया गया है। कुछ पर्यटन स्थल भी विकसित किए गए हैं। नई संसद भवन का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण काम है। धर्म की गहरी जड़ों की पहचान कर, उसे अपने पक्ष में उपयोग करना एक राजनीतिक कौशल की तरह किया गया है।

कौशल की तरह किया गया है। परिणामस्वरूप, तमाम कथा आोजनन, प्रवचन, भजन-भंडारे, साधु-संत और उपदेशक उनके पक्ष में बोलते और काम करते दिखाई देते हैं। स्त्रियाँ ज़्यादा धार्मिक होती हैं और समझा जाता है कि उनमें अंधभक्त भी होती हैं। उनको इस स्थिति से उबारने की अपेक्षा अपने पक्ष में उपयोग करना फायदेमंद समझा गया। आज स्त्रियाँ भाजपा की बड़ी ताकत हैं। मुस्लिम अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक मोह और सोच के चलते मुख्यधारा में घुल-मिल नहीं पाए। उनकी तमाम प्रवृत्तियों को राजनीतिक धरातल पर भाजपा ने एक सशक्त मुद्दा बनाने का प्रयास किया। अपराध, आतंकवाद, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे प्रभावी बन। आम जन में भय का वातावरण बना और ध्रुवीकरण की जगह बनी। बावजूद इसके, मध्य प्रदेश से महिलाओं को नकद राशि बाँटने का प्रयोग किया, जो बाद में अन्य राज्यों को भी अपनाना पड़ा। बिहार में दस हजार एकमुश्त देकर सबसे चौकाने वाली ख़बर भी बनी। चुनाव जीतने के लिए अब यह एक फ़ॉर्मूला बन गया लगता है।

लोकतंत्र में विपक्ष की रचनात्मक भूमिका होती है। असल में चौकीदार तो विपक्ष होता है। विपक्ष को आदर और सम्मान देना भारतीय लोकतंत्र की परंपरा



भी रही है। लेकिन भाजपा ने ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का आक्रामक लक्ष्य घोषित कर लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था को युद्ध में बदल दिया। इसके जवाब में कांग्रेस को अपने मजबूत इतिहास को रेखांकित करते

हुए संगठित होना चाहिए था। भाजपा जानती है कि कांग्रेस का मजबूत पक्ष क्या है, इसलिए बार-बार नेहरू को निशाने पर लिया जाता रहा है। मुख्य पिलर पर चोट करने से भवन जल्दी धराशायी हो जाता है। बुलडोज़र सिर्फ़ मकान पर ही नहीं चलते हैं। ज़रूरत पड़ जाए तो महापुरुष भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा उन्हें नायक मानने से संकोच करती है जो अंग्रेज़ों से लड़े। मुगलों से जो लड़े, उन्हें नायक मानना उनकी राजनीतिक सुविधा भी है। सत्ता नेतृत्व जानता है कि कहीं कांग्रेस निशस्त्र हो सकती है। सबसे बड़ी निशस्त्रता प्रगतिशील, समावेशी राजनीतिक विचारधारा के कारण है। गांधी जब ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे, तब नेहरू ने उद्योग और वैश्विक मंच पर भारत को देखना चाहा। वे देश को आधुनिक संसार में देखना चाहते थे, जाहिर है, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ें। पश्चिम का अनुकरण हुआ - न

केवल तकनीक में अपितु जीवन शैली, शिक्षा और संस्कृति में भी। इसके चलते जातिगत और धर्मांत नज़रियों पर शिथिलता बरती गई। आज की राजनीति में सांप्रदायिक मुद्दे और विचार जब भी उठाए जाते हैं, कांग्रेस राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़ने लगती है और उसे मुस्लिम परस्‍त बताते हुए घेर लिया जाता है। गोमांस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अनेक बार कांग्रेस को असहज होते देखा है। अस्‍सी करोड़ लोगों को मुफ्‍त राशन देने का विरोध कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही है। हर मौके पर कांग्रेस के मात्र चार चेहरे दिखाई देते हैं। प्रतीत होता है, कांग्रेस नेतृत्व अपने लोगों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। यदि कोई दल है, तो दल दिखना भी चाहिए। कांग्रेस को मिशन मोड में रहने वाली भाजपा से भी सीखने की ज़रूरत है। उसके महत्वपूर्ण नेता या तो खामोश बैठे हैं या फिर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें पार्टी में रोक रखने की कोशिश दिखाई नहीं देती। होना तो यह चाहिए था कि वे ज़मीनी स्तर पर कोई मजबूत संगठन बनाने का प्रयास करें। आरएसएस की तरह का संगठन बना लेना कांग्रेस के बूते का नहीं है। लेकिन केवल सरकार से असंतोष और बिखरे हुए लोगों के भरोसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लगता है कांग्रेस के पुरातन पेड़ पर एकतरफ़ा पतझर चल रहा है। आज कुछ जगहों पर कांग्रेस की सभाओं में भीड़ दिखाई दी है, लेकिन इस भीड़ को वोट में बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। लगता है, कांग्रेस के समक्ष सरकार बनाने की चुनौती तो नहीं है, बड़ी चुनौती पार्टी को बनाए रखने की है।

बदलती वैश्विक जनसांख्यिकी की दिशा

भारत आज दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और लगभग 1.45 अरब की आबादी के साथ उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बीते दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और बढ़ती जीवन प्रत्याशा इसकी प्रमुख वजह रही हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ शहरों पर दबाव, सीमित रोजगार, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ भी सामने हैं। इसके बावजूद भारत की विशाल युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो सही नीतियों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा दे सकती है। साथ ही, देश की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 पर आना एक महत्वपूर्ण बदलाव है—कम बच्चों के कारण महिलाओं के पास शिक्षा, कौशल और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अधिक अवसर होंगे, जिससे उत्पादनशीलता और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।

1979 से 2015 तक लागू रही एक-बच्चा नीति के कारण आज चीन अस्तुंतिलत आयु संरचना, तेज़ी से बढ़ती वृद्ध आबादी और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। हालाँकि सरकार अब परिवार विस्तार को प्रोत्साहित कर रही है, पर सामाजिक-आर्थिक बदलावों ने छोटे परिवार की प्रवृत्ति को मजबूती देता है। हालाँकि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में आब्रजन नीतियों में होने वाले बदलाव भविष्य की अमेरिकी जनसंख्या संरचना को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इंडोनेशिया, लगभग 27.5 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हजारों द्वीपों में फैले इस देश में जावा जैसे अत्यंत घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार से जन्म दर में कमी आई है, फिर भी विशाल युवा आबादी

के कारण रोज़गार और बुनियादी ढांचे पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान, 24 करोड़ से अधिक आबादी के साथ पाँचवें स्थान पर है और यहाँ दुनिया की सबसे तेज़ जनसंख्या वृद्धि दरों में से एक है। अत्यधिक युवा आबादी विकास की संभावना भी है और बड़ी चुनौती भी। तेज़ शहरीकरण के कारण जल, ऊर्जा, आवास और रोजगार जैसी समस्याएँ लगातार गंभीर होती जा रही हैं। दुनिया की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाले कई कारक समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं। जन्म दर में अंतर, आर्थिक अवसर, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लंबे समय तक लागू रहने वाली सरकारी नीतियाँ इन कारकों का हिस्सा हैं। प्रवासन और आधुनिक दुनिया की जनसंख्या को आकार देने वाली एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। बेहतर शिक्षा, सुरक्षित जीवन, आर्थिक अवसर और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विस्थापन ने इसे वैश्विक प्रक्रिया में बदल दिया है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अनेक यूरोपीय देश अपनी जनसंख्या और श्रम शक्ति को संतुलित रखने के लिए प्रवासन पर निर्भर हैं, जबकि आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों से युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। वहीं अवैध प्रवासन सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और प्रशासन के सामने नई और गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है।

विकसित देशों में वृद्ध होती आबादी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और इटली जैसे देशों में कामकाजी आयु वर्ग घट रहा है, जबकि बुजुर्गों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। जन्म दर बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव इन्हें सीमित प्रभाव ही दे पा रहे हैं।

आर्थिक दृष्टि से बड़ी जनसंख्या एक दोधारी तलवार है। एक ओर विशाल श्रम शक्ति और बड़ा घरेलू बाज़ार आर्थिक विस्तार को गति देता है, वहीं दूसरी ओर पर्याप्त रोज़गार, कौशल और संसाधन न होने पर बेरोज़गारी, असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ता है। साथ ही, बढ़ती आबादी के लिए मजबूत अवसरंचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और जल प्रबंधन की आवश्यकता भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

2050 तक दुनिया की जनसंख्या संरचना में बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दशकों में अफ्रीका वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य केंद्र बनेगा, जहाँ नाइजीरिया, इथियोपिया और कांगो जैसे देशों की आबादी तेज़ी से बढ़ेगी। एशिया में भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी होते हुए स्थिरता की ओर बढ़ेगी, जबकि चीन की आबादी घटने लगेगी। यूरोप

पहले ही जनसंख्या गिरावट के दौर में प्रवेश कर चुका है, वहीं अमेरिका प्रवासन-आधारित मॉडल के सहारे जनसंख्या संतुलन बनाए रखेगा। 2025 की जनसंख्या रैंकिंग इस बात का संकेत है कि दुनिया एक नई जनसांख्यिकीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अब वैश्विक शक्ति-संतुलन का निर्धारण अब केवल अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता से नहीं, बल्कि जनसंख्या संरचना से भी होगा। युवा आबादी वाले राष्ट्र आने वाले समय में विकास, नवाचार और उत्पादन के नए केंद्र बन सकते हैं, जबकि वृद्ध होती जनसंख्या वाले देशों के सामने सामाजिक सुरक्षा, श्रम शक्ति और आर्थिक स्थिरता की जटिल चुनौतियाँ होंगी। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रवासन और सीमित होते प्राकृतिक संसाधन इन चुनौतियों को और गहरा बना रहे हैं। ऐसे समय में जनसंख्या को बांझ नहीं, बल्कि सुनियोजित नीतियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से एक शक्तिशाली पूंजी में बदलना ही 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक परीक्षा होगी। इस बदलते परिदृश्य में भारत को भी शिक्षा, कौशल विकास, महिला सर्वाधिकरण और रोजगार-सृजन को जनसंख्या नीति का केंद्र बनाने तैयारियां करनी होंगी।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पूर्ण कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन बना आईएसओ प्रमाणित प्राधिकरण



रायसेन (निप्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन अब आईएसओ प्रमाणित प्राधिकरण बन गया है। इसका प्रमाण पत्र आज रायसेन में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एनडीआर आईएसओ संस्था के अधिकारीगण श्री जितेन्द्र खंडेलवाल एवं श्री योगेंद्र द्विवेदी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला तथा सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सोहाने को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता, श्री अरविंद जैन प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्रीमती शशि सिंह विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटो सहित सभी न्यायाधीशगण, सत्र अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारीगण, श्री विनयकांत चतुर्वेदी अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, अधिवक्तागण, विधि छात्र एवं पैरालीगल वालेंटियर सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन श्री

अनिल कुमार सोहाने द्वारा कार्यालय की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानक पूर्ण करने पर आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त होना रायसेन के लिए गौरव की बात है। इस उपलब्धि में विधिक सेवा संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों, पैनेल अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स व पैरालीगल वालेंटियर्स का पूर्ण योगदान रहा है।

सभी ने समाज के जरूरतमंद एवं अतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अमूल्य योगदान दिया है। कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उत्कृष्ट कार्य करते हुए हमें भी आईएसओ प्रमाणीकरण हेतु प्रयास करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर अत्यंत खुशी हो रही है। आईएसओ अवार्ड लक्ष्य नहीं एक जरिया है। आईएसओ अवार्ड

पाना महत्वपूर्ण नहीं है, आईएसओ अवार्ड क्यों पाना है, यह महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री अरविंद जैन द्वारा कहा गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन वर्ष 2025 का पहला प्राधिकरण है जिसे आईएसओ अवार्ड प्राप्त हुआ है।

यह पूरे रायसेन जिले के लिए गर्व की बात है। श्रीमती हर्षिणी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा आईएसओ प्रमाणीकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि यह प्रमाणन यह सुनिश्चित करता है कि विधिक सेवा से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी एवं उत्तरदायी हो, जिससे आम नागरिकों विशेषकर गरीब, असहाय, महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांगजन तथा पीड़ित वर्ग बिना किसी बाधा के निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती हर्षिणी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन एवं आभार प्रदर्शन श्री अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा किया गया।

संक्षिप्त समाचार

खाद्य सुरक्षा विभाग ने चिचोली में खाद्य प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण



बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जिलेभर में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच एवं नमूने लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन श्री शैलेंद्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में 17 दिसंबर को चिचोली तहसील में खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। चलित खाद्य प्रयोग शाला में जांच दल खाद्य सुरक्षा अधिकारी मीना कुमरे , केमिस्ट हेमंत कीर, सहायक ब्रजेश पटेल द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों अमूल ट्रेडर्स, जायसवाल किराना, ओम साईकृपा रेस्टोरेंट, गुरुसाहिब किराना, महालक्ष्मी ट्रेडर्स की जांच कर कुल 25 नमूने लिए गए। नमूनों की जांच केमिस्ट द्वारा की गई तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिचोली में जागरूक कार्यक्रम के तहत मिलावट की जांच के प्राथमिक तरीके बताए गए।

जल संघय अभियान के अंतर्गत

आठनेर में बोरी बंधान कार्य संपन्न



बैतूल (निप्र)। जल संघय अभियान के अंतर्गत आठनेर विकासखण्ड में कावला सेक्टर की ग्राम पंचायत गारगुड के डंगरापाटा में खेत की नदी पर 80 बोरियों का बोरी बंधान किया गया। यह कार्य प्रस्पुटन समिति, नवांकुर संस्था, मेंटर एवं सीएमसीएलडीपी कार्यक्रम के छात्रों के संयुक्त सहयोग से सम्पन्न हुआ। बोरी बंधान कार्य में विकासखण्ड समन्वयक श्रीमती मधु चौहान, प्रस्पुटन समिति, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि सहित समिति सदस्य एवं सेक्टर के सीएमसीएलडीपी छात्र-छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता की। बोरी बंधान कार्य के पश्चात विकासखण्ड समन्वयक द्वारा उपस्थित छात्रों और समिति सदस्यों के साथ चौपाल आयोजित कर वर्षा जल संरक्षण एवं ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक बोरी बंधान निर्माण विषय पर चर्चा की गई। साथ ही छात्रों द्वारा अपने-अपने प्रयोगशाला ग्रामों में जल संघय अभियान के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी साझा की गई।

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना से परिवार जनों को मिल रही सहायता

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में 7227 हितग्राहियों को 160 करोड़ रुपये की सहायता राशि का अंतरण किया गया है, जिससे विदिशा जिले के हितग्राही भी लाभान्वित हुए हैं। विदिशा जिले की हितग्राही श्रीमती मंजू श्रीवास्तव ने योजना अंतर्गत दो लाख रुपये की राशि अपने बैंक खाते में प्राप्त होने पर जनकल्याण संबल योजना की भूरि भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि यह योजना दुख-मुसीबत के समय नागरिकों के साथ खड़ी रहकर आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। जिस समय परिवारजन दुखी होते हैं उस समय यह योजना सहारा बन रही है। योजना से लाभान्वित हितग्राही श्रीमती मंजू श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पति श्री शैलेश श्रीवास्तव को मृत्यु हो गई थी इसके उपरांत उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में आवेदन किया और योजना अंतर्गत दो लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है जो उनके परिवार का सहारा बनेगी।

लहसुन एवं प्याज फसलों का निरीक्षण, कीट नियंत्रण व सूक्ष्म सिंचाई पर दिया मार्गदर्शन

सोहोरा (निप्र)। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जिला सोहोरे के सहायक संचालक उद्यान द्वारा विकासखण्ड सोहोरे के ग्राम झरखेड़ा में कृषक श्री रमेशचंद्र पाटीदार एवं श्री शिवप्रसाद पाटीदार के प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लहसुन एवं प्याज फसलों की स्थिति का अवलोकन कर सर्वसूचक कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड एवं थायोमेथोक्वाम की अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करने की सलाह दी गई। साथ ही फसलों में लगने वाले अन्य कीट एवं रोगों की पहचान, रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के संबंध में कृषकों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कृषकों के खेतों में स्थापित मिनी स्पिंकलर प्रणाली का भी निरीक्षण किया गया तथा जल संरक्षण एवं सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप एवं मिनी स्पिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया गया।

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन

बैतूल (निप्र)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल के निर्देशों में बैतूल जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिये 09 दिसम्बर 2025 से 18 मार्च 2026 तक प्रारंभ 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बैतूल द्वारा चलाया जा रहा है।

यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना नालसा 'आशा' के क्लाज 6 अंतर्गत लागू किया गया है। एनआरएलएम के अंतर्गत लोक अधिकार केंद्र एवं एनजीओ प्रदान के कार्यक्रमों का प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 17 दिसंबर को एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर बैतूल में किया गया। इस अवसर पर सचिव श्रीमती शर्मिला बिलवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय, पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री शिवबालक साहू ने बताया कि सामाजिक जागरूकता ही इसे रोकने का एकमात्र उपाय है।



हम प्रत्येक कार्यक्रम व अयोजनों के साथ-साथ परिवार में व दोस्तों, पड़ोसियों को इसके दुष्परिणाम बताकर इसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में इसकी

जानकारी दिया जाना आवश्यक है और परिवार में बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार कर माता-पिता को उनकी भावनाओं को समझना और परिवार का सकारात्मक वातावरण सबसे

राजस्व एवं वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय से कार्य में गति लाई जाए: कलेक्टर



वन ग्रामों के संपरिवर्तन और वन व्यवस्थापन के कार्य में गति देने के

दिये निर्देश राजस्व एवं वन

अधिकारियों की संयुक्त बैठक

सोहोरा (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व एवं वन विभाग के

अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन तथा वन खण्डों के व्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वन ग्रामों से संबंधित समस्त आवश्यक डेटा वन विभाग द्वारा शीघ्र ही राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि संपरिवर्तन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। कलेक्टर ने वन अधिकारियों को एक सप्ताह में अभिलेख राजस्व अधिकारियों को देने के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन एवं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम संबंधी बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय बंधक श्रम समिति और बाल एवं कुमार (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम एवं बाल एवं कुमार (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। साथ ही इन अधिनियमों के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने बंधक श्रम प्रथा एवं बाल श्रमिकों की रोकथाम हेतु निश्चित रूप से निरीक्षण करने एवं सभी व्यावसायिक संस्थानों में बाल श्रम निषेध सम्बन्धी एडवाइजरी चस्पा होना अनिवार्यतः सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रम पदाधिकारी श्री जीएस महदेले द्वारा समिति के सदस्यों को बाल श्रम प्रथा एवं बाल श्रमिक से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई।



साथ ही बाल श्रम प्रथा के सम्बन्ध में दायित्वों से अवगत कराते हुए बंधुआ मजदूरों को बचाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया। बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, महिला एवं विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्व, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग का संयुक्त निरीक्षण भ्रमण

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता द्वारा विदिशा जिले में नवाचार को लेकर जारी मुहिम को दृष्टिगत रखते हुए नटेरन एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल की अध्यक्षता में प्रागतिशील कृषकों द्वारा लगाए गए खेती के नवाचारों का निरीक्षण किया गया।

ड्रैगन फ्रूट की खेती बनी आकर्षण का केंद्र

नटेरन एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती की पहल अपना रहे प्रागतिशील कृषक श्री विपुल श्रीवास्तव के खेत का भ्रमण किया, जिसमें उनके द्वारा अपनाए जा रहे उन्नत कृषि तकनीकों द्वारा ड्रैगन फ्रूट के साथ-साथ नींबू एवं आम की उन्नत किस्मों के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई।

पारंपरिक फसलों के साथ चिया सीड्स एवं

कलौजी का सामंजस्य

एसडीएम श्री पटेल द्वारा ग्राम काशीपुर के कृषक श्री बुजेश तिवारी द्वारा अपने खेत में गेहूं के साथ चिया सीड्स की खेती 3

हेक्टेयर की खेती का भी भ्रमण किया गया। इसके साथ ही ग्राम के कृषक श्री कल्याण सिंह जी के 6 हेक्टेयर के कलौजी की खेती के बारे में भी जानकारी ली गई। ग्राम के कृषकों द्वारा बताया गया कि इस वर्ष लगभग 80 हेक्टेयर से अधिक में चिया सीड्स की खेती की गई है।

कृषकों एवं अधिकारियों के मध्य संवाद

एसडीएम श्री पटेल द्वारा चिया सीड्स को पारंपरिक खेती में अपनाने से चिया सीड्स में मवेशियों द्वारा फसल क्षति, बैमौसम फसल नुकसान, उर्वरकों का कम मात्रा में प्रयोग इत्यादि को देखते हुए उर्वक फसल की बुवाई पर जोर दिया जाए। नटेरन तहसीलदार श्री आनंद जैन द्वारा चिया सीड्स , कलौजी, एवं अन्य उद्यानिकी फसलों में होने वाले प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जानकारी भी कृषकों को दी गई। सहायक संचालक उद्यानिकी श्री सोलंकी द्वारा



ड्रैगन फ्रूट की किस्मों एवं इसके लाभकारी गुणों जैसे - फोलिक एसिड, विटामिन सी, हृदय रोगों, पाचन तंत्र मजबूत करने इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदाय की गई। उद्यानिकी से श्री रामचंद्र वर्मा द्वारा पीएमकेएसवाय योजनांतर्गत ड्रिप सिंचाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विस्तार अधिकारी श्री अभिषेक जैन द्वारा चिया सीड्स के बुवाई से लेकर प्रोसेसिंग एवं बाजार मूल्य के विषय में विस्तार से बताया गया जिसमें मुख्यतः उर्वरक की

खेती में हो रहा उन्नत कृषि यंत्रों

का उपयोग

एसडीएम श्री पटेल द्वारा कृषक श्री कल्याणसिंह के फॉर्म हाउस पर रखे अपने खेत में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र जिसमें मुख्यतः उर्वरक के समुचित मात्रा में वितरण हेतु फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, भूसा बनाने हेतु नरवाई प्रबंधन के लिए स्ट्रा रीपर, रोटावेटर एवं अन्य कृषि यंत्र भी देखे गए। राजस्व, कृषि एवं उससे संबंध विभागों के संयुक्त निरीक्षण भ्रमण के दौरान नटेरन तहसीलदार श्री आनंद जैन, शमशाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार श्री दर्शनलाल नेगी, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री श्यामलाल सोलंकी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जगदीश गुर्जर, उद्यानिकी से श्री रामचंद्र वर्मा, प्रभारी उद्यान विकास अधिकारी श्री कुंदन सिंह, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी श्री राघवेंद्र अहिरवार, कृषि विभाग से श्री सत्यम नेमा, श्री रजत जैन, श्री अभिषेक जैन एवं अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

मात्रा का पारंपरिक फसलों से 25: कम उपयोग करने एवं बाजार मूल्य लगभग 25000 प्रति किंवाटल होने के विषय में जानकारी प्रदाय की गई।

